

यौन उत्पीड़न के साक्ष्यों का भंडारण और भविष्य में परीक्षण*

आज एकत्र किए गए यौन उत्पीड़न के साक्ष्यों की जांच के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, तभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन साक्ष्यों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेज सकती हैं। आपने संकेत दिया है कि आप इस समय परीक्षण के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हैं।

यदि आप वयस्क हैं, तो यह साक्ष्य आज की तारीख _____ से दस (10) वर्षों तक कानून प्रवर्तन द्वारा संग्रहीत किया जाएगा।

यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो यह साक्ष्य आपके 28^{वें} जन्मदिन तक सुरक्षित रखा जाएगा।

आप भंडारण अवधि समाप्त होने पर साक्ष्य को नष्ट करने से पहले सूचित किए जाने का अनुरोध कर सकते हैं। यह साक्ष्य नीचे सूचीबद्ध कानून प्रवर्तन एजेंसी में सुरक्षित रखा जाएगा।

इस साक्ष्य के परीक्षण के लिए सहमति प्रपत्र पर भंडारण अवधि के दौरान किसी भी समय हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। आप नीचे सूचीबद्ध कानून प्रवर्तन एजेंसी से संपर्क करके या बलात्कार संकट केंद्र के किसी अधिवक्ता के साथ मिल कर ऐसा कर सकते हैं।

| |
|-----------------------|
| कानून प्रवर्तन एजेंसी |
| पता |
| फ़ोन नंबर |
| रिपोर्ट संख्या |

| |
|----------------------|
| बलात्कार संकट केंद्र |
| पता |
| फ़ोन नंबर |

* यह प्रपत्र 725 ILCS 203/30(e) के अनुसार कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उस पीड़ित, जिसने अस्पताल में साक्ष्य की जांच के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, या तो अस्पताल में या जांच अधिकारी के अनुवर्ती साक्षात्कार के दौरान सहमति दर्ज की हो, को प्रदान किया जाना चाहिए।